ए.

जनबाई डब्ल्यू. डी./ओ. दिनकराव घोरपडे और ओ. आर. एस. बनाम।

मेसर्स I.C.I.C.I. लैम्बर्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। (2022 की सिविल अपील संख्या 5220)

बी.

10 अगस्त, 2022

[हेमंत गुप्ता और विक्रम नाथ**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 -s.166-मोटर दुर्घटना दावा-मुआवजे का अनुदान-पीड़ित-मृतक मोटरसाइकिल चला रहा था जब एक कार विपरीत दिशा से आई और पीड़ित की मोटरसाइकिल से टकरा गई-पीड़ित की मृत्यु हो गई और उसकी अपीलकर्ता-पत्नी को चोटें आईं-प्राथमिकी दर्ज की गई और वाहन के चालक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया-एक आवेदन यू/एस।166 1988 के अधिनियम की राशि मुआवजे के अनुदान के लिए दायर की गई थी-न्यायाधिकरण द्वारा मुआवजे के रूप में कुल रुपये की राशि का आकलन किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि दुर्घटना मालिक के स्वामित्व वाली कार द्वारा हुई थी-हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया कि दुर्घटना मालिक के स्वामित्व वाली कार और चालक की ओर से लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी-उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि न तो उल्लंघन करने वाली कार के मालिक और न ही बीमा कंपनी ने यह साबित करने के लिए चालक की जांच की है कि उल्लंघन करने वाली कार दुर्घटना में शामिल नहीं थी-इस प्रकार, दुर्घटना के संबंध में अपीलार्थी के बयान पर संदेह करते हुए, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी गई और दावा याचिका खारिज कर दी गई-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःआपराधिक मुकदमे में आरोपों को साबित करने के लिए साक्ष्य के नियम का उपयोग आवेदन पर निर्णय लेते समय नहीं किया जा सकता है।166 मोटर वाहन अधिनियम, 1988, जो प्रकृति में संक्षिप्त है-अधिनियम के तहत आवेदन का निर्णय उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाना है न कि उस साक्ष्य के आधार पर जिसका आपराधिक मुकदमे में नेतृत्व किया जाना चाहिए था या किया जा सकता था-दुर्घटना में घायल हुए अपीलार्थी के बयान की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है-उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है-अपीलार्थियोंओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे में वृद्धि की मांग करने के लिए कोई अपील दायर नहीं की है-अपीलार्थी बढ़े हुए मुआवजे के हकदार हैं-इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय मुआवजे की राशि की पुनः गणना करने का फैसला करता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1041 ए.

1042 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 6 एस. सी. आर.

संविधान पीठ के फैसले (राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी और अन्य) के अनुरूप। (2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13 एस. सी. आर. 100)-इसलिए, मुआवजा रु. 11,63,000-7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ-परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 142।

बी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** यह न्यायालय

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** आपराधिक मुकदमे में आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य के नियम का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम**, 1988** की धारा **166** के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय नहीं किया जा सकता है।दुर्घटना में घायल हुए अपीलार्थी संख्या **1** के बयान की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।अधिनियम के तहत आवेदन का निर्णय उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए**,** न कि उस साक्ष्य के आधार पर जिसका आपराधिक मुकदमे में नेतृत्व किया जाना चाहिए था या किया जा सकता था।हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है।यदि मृतक की बेटियों को दावेदार के रूप में शामिल नहीं किया गया है**,** तो यह मायने नहीं रखता है क्योंकि उत्पीड़न करने वाले द्वारा देय मुआवजे की राशि में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि बेटियां दावा आवेदन में पक्षकार हैं।चूंकि बेटियाँ विवाहित हैं**,** इसलिए माँ ने बेटियों को दावेदार के रूप में शामिल नहीं किया है।इसका वास्तव में कोई परिणाम नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है।**[**पारस **10** और **11] [1047-**ए**-**सी**]**

सी.

डी.

ई.

2. अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए कोई अपील दायर नहीं की है।अपीलार्थियों विशेष रूप से प्रणय सेठी में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में भविष्य की संभावनाओं और अन्य नुकसानों के संबंध में बढ़े हुए मुआवजे के हकदार हैं।इसलिए**,** संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** यह न्यायालय संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुरूप मुआवजे की राशि की पुनः गणना करने का निर्णय लेता है।अपीलार्थी ने इस न्यायालय को दी गई गणना में प्रेम और स्नेह के साथ**-**साथ पत्नी के लिए वैवाहिक संघ और बच्चों के लिए माता**-**पिता के संघ के कारण मुआवजे का दावा किया है**,** लेकिन तीन न्यायाधीशों की पीठ को ध्यान में रखते हुए

एफ.

जी.

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ए के रूप में रिपोर्ट किया गया निर्णय

एच.

1043

जनबाई डब्ल्यू. डी./ओ. दिनकराव घोरपडे बनाम एम./एस. I.C.I.C.I. लैम्बर्ड बीमा कंपनी लिमिटेड।

v. सतिंदर कौर और अन्य**,** प्रेम और स्नेह की हानि के कारण शीर्ष के तहत मुआवजा स्वीकार्य नहीं है**,** लेकिन पत्नी के लिए पति**-**पत्नी संघ और बच्चों के लिए माता**-**पिता के संघ के कारण मुआवजा स्वीकार्य है।**[**पारस **12** और **13] [1047-**डी**-**एच**]**

बी.

3. हलफनामे पर अपीलार्थी संख्या **1** का सबूत है कि उसके पति को **Rs.12,450/-** का वेतन मिल रहा था और वह **50** वर्ष से अधिक आयु का था।विद्वत न्यायाधिकरण ने वेतन के प्रमाण के अभाव में मृतक की मासिक आय का आकलन **Rs.10,000/-** के रूप में विद्वान । इसलिए**,** आय और आयु और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए**,** मुआवजे का आकलन इस प्रकार किया जाता हैः**क)** आय का नुकसान **Rs.10,12,440** के रूप में**;**ख**)** संपत्ति का नुकसान **Rs.15000-**के रूप में**;**ग**)** पत्नी के लिए पति**-**पत्नी संघ **Rs.40,000/-,** दो बच्चों के लिए माता**-**पिता संघ **Rs.80,000/-;**घ**)** अंत्येष्टि व्यय **Rs.15000**।इसलिए**,** कुल मुआवजा रु। **11,63,000-7** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ**,** जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्राप्ति तक दिया गया है।**[**पारस **14** और **15] [1049-**ई**-**जी**; 1050-**ए**]**

सी.

डी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

& ओआरएस। (2017) 16 एससीसी 680:[2017] 13 एस. सी. आर. 100-फॉलो किया गया।

ई.

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर

कौर और ओआरएस। (2021) 11 एस. सी. सी. 780-पर निर्भर था।संदर्भित निर्णय

[2017] 13 एससीआर **100**

पीछा किया।

पैरा **12**

एफ.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2022 की सिविल अपील सं. 5220।

2015 की पहली अपील संख्या 3333 में औरंगाबाद में बॉम्बे बेंच में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 14.12.2018 से।

जी.

अतुल बाबासाहेब दख, अपीलार्थियों के अधिवक्ता।

विष्णु मेहरा, सुश्री साक्षी मित्तल, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता**,** जे।

1. मृतक दिनकर शंकरराव घोरपड़े के कानूनी उत्तराधिकारी बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा 14.12.2018 पर पारित एक आदेश के खिलाफ अपील कर रहे हैं, जिसके तहत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित पुरस्कार में ब्याज @7% p. a. के साथ रु. 8,90,000 की राशि अपास्त करना कर दिया गया था।

बी.

2. मृतक मोटरसाइकिल नं. एम. एच.-20/ए. डी.-956 1.6.2007 पर जब मारुति-800 कार नं. अपीलार्थियों के अनुसार एमएच-41/सी-1777 विपरीत दिशा से आया और मृतक की मोटरसाइकिल से टकरा गया।मृतक और अपीलार्थी नं. 1 को गंभीर चोटें आईं।इस प्रकार मृतक को सरकारी अस्पताल (घाटी अस्पताल) में भर्ती कराया गया।2.6.2007 पर, मृतक को कमल नयन बजाज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन 25.6.2007 पर उसकी मृत्यु हो गई।मौत का कारण सिर में चोट लगना था।

सी.

डी.

3. अपीलार्थी नं. 1 ने 2.7.2007 पर शिकायत दर्ज कराई जहाँ अज्ञात वाहन और अज्ञात चालक के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।यह 20.8.2007 पर था, उल्लंघन करने वाले वाहन का पंजीकरण और चालक और वाहन के मालिक के नाम सूचित किए गए थे।इसके बाद, पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और चालक संजय पुत्र रमेश सोनवाने के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

ई.

4. मृतक की मृत्यु के कारण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे के अनुदान के लिए 8.5.2009 पर एक आवेदन दायर किया गया था।वाहन के मालिक ने दुर्घटना से इनकार किया है।मालिक द्वारा अपने लिखित बयान में कहा गया था कि चालक-संजय के साथ उसकी कभी सगाई नहीं हुई थी और उनके बीच नियोक्ता और कर्मचारी का कोई संबंध नहीं है।चालक ने न तो लिखित बयान दिया और न ही गवाह के रूप में पेश हुआ।बीमा कंपनी ने कोई सबूत नहीं दिया।

एफ.

5. अपीलार्थी नं. 1, जनाबाई (पीडब्लू -1) और स्वामी-चूड़ामन वंजी पाटिल, विद्वत न्यायाधिकरण के बयान में, किसी भी वेतन प्रमाण पत्र के अभाव में, मृतक की आय का आकलन Rs.10,000/- के रूप में विद्वान गया और व्यक्तिगत खर्चों के लिए वेतन का 1/3 हिस्सा काटने के बाद, मासिक खर्च का आकलन 6,670/- के रूप में विद्वान गया।11 का गुणक लागू किया गया था।अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 2,000/- रुपये, संघ के नुकसान के लिए 5,000/- रुपये, संपत्ति के नुकसान के लिए 2,500/- रुपये की राशि प्रदान की गई थी, इस प्रकार, कुल रु।

जी.

एच.

जनबाई डब्ल्यू. डी./ओ. दिनकराव घोरपडे बनाम एम./एस. I.C.I.C.I. लैम्बर्ड बीमा कंपनी लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

क्षतिपूर्ति।विद्वत न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित विद्वान कि दुर्घटना मालिक के स्वामित्व वाले वाहन द्वारा हुई थी, जब निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज विद्वान गया था:"...उन्होंने स्वीकार किया कि, क्र. नं. 58/2007 उनकी कार के चालक के खिलाफ दर्ज किया गया था और प्रत्यर्थी नंबर 3 संजय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।पुलिस ने उसकी कार जब्त कर ली है और न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे वापस कर दिया गया है।उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने संजय के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही दर्ज नहीं की थी।उसने आगे बयान दिया कि उसने उक्त अपराध में संजय की जमानत ले ली थी।जमानत आवेदन और जमानत और 7/12 उद्धरण Exhs पर हैं।68, 69 और 70.यह ध्यान देने योग्य है कि जाँच-इन-चीफ में, चूड़ामन पाटिल ने कहा है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 3 से संबंधित नहीं है और प्रत्यर्थी संख्या 3 उसके साथ चालक के रूप में काम नहीं कर रहा था।हालाँकि, Exh.68 पर जमानत आवेदन पत्र से पता चलता है कि, चूड़ामन पाटिल यानी प्रत्यर्थी संख्या 1 प्रत्यर्थी संख्या 3 संजय सोनावने के लिए मुचलका बना रहा और यह उल्लेख किया गया है कि आरोपी मुचलके के वाहन का चालक है।यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने न्यायालय के समक्ष झूठा बयान दिया कि वह प्रत्यर्थी संख्या 3 से संबंधित नहीं था।यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि न तो प्रत्यर्थी संख्या 3 और न ही प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए कोई याचिका दायर की थी। पुलिस ने जाँच की और उसके बाद प्रत्यर्थी नं. 3 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।तो, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि, मारुति कार धारक No.MH-41/C-1777 दुर्घटना में शामिल थी और उसने मृतक की मोटरसाइकिल को टक्कर दी और दुर्घटना का कारण बनी।प्रत्यर्थी संख्या 3 ने मारुति कार को जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया।"6. हालांकि, बीमा कंपनी द्वारा दायर एक अपील में, उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष को स्वीकार नहीं किया कि दुर्घटना मालिक के स्वामित्व वाली कार और चालक की लापरवाही से हुई थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थियों ने उल्लंघन करने वाली कार के पंजीकरण संख्या का खुलासा करने वाली जानकारी के स्रोत के संबंध में

जांच अधिकारी से पूछताछ नहीं की है क्योंकि अपीलार्थी संख्या 1 ने उल्लंघन करने वाली कार का पंजीकरण संख्या पुलिस को एक पूरक बयान में दी थी।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थियों द्वारा दुर्घटना और उल्लंघन करने वाली कार के बीच संबंध स्थापित किया जाता है।

जी.

7. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि न तो उल्लंघन करने वाली कार के मालिक और न ही बीमा कंपनी ने चालक से पूछताछ की है।

एच.

साबित करें कि उल्लंघन करने वाली कार दुर्घटना में शामिल नहीं थी।यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी संख्या 1-घायल पिलियन सवार ने घटना की तारीख से एक महीने के बाद 2.7.2007 पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।एफ. आई. आर. में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि उनके घायल पति को मारुति-800 के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एमएच-41/सी-1777 लेकिन उक्त वाहन दुर्घटना में शामिल था, इसका खुलासा नहीं किया गया था।यह भी पाया गया कि मृतक की विवाहित बेटियों को दावा याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जिससे अपीलार्थियों की ईमानदारी पर संदेह था।इस प्रकार, दुर्घटना के संबंध में अपीलार्थी संख्या 1 के बयान पर संदेह करते हुए, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया गया और दावा याचिका को खारिज कर दिया गया।

बी.

सी.

8. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और पाया है कि उच्च न्यायालय का आदेश अस्थिर है।अपीलार्थी नं. 1 और उनके पति को एक दुर्घटना में चोटें आई थीं जो 1.6.2007 पर हुई थी।उन्होंने 25.6.2007 पर अपने पति को खो दिया।घटना के समय अपीलार्थी संख्या 1 या अन्य रिश्तेदारों की प्राथमिक चिंता मृतक की गंभीर स्थिति में उसकी देखभाल करना था।एफ. आई. आर. दर्ज करने के बजाय अपने पति का स्वास्थ्य और कल्याण उनकी प्राथमिकता थी। उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से प्राथमिकी में कार चालक के नाम का खुलासा न करने के संबंध में पुलिस को दी गई जानकारी के आधार पर कार्रवाई की है। अपीलार्थी संख्या 1 ने उल्लंघन करने वाले वाहन के कार नंबर का खुलासा करते हुए 1.8.2011 पर अपना मुख्य परीक्षण दायर किया है।मालिक और बीमा कंपनी को अपने इस रुख के समर्थन में गवाह से

जिरह करने का अवसर मिला कि उसके द्वारा दिया गया वाहन नंबर दुर्घटना में शामिल नहीं था। जिरह में, उसने गवाही दी कि उसे उस वाहन में अस्पताल लाया गया था जो उनके वाहन से टकरा गया था।उसने बयान दिया कि वह मानसिक रूप से परेशान थी और अस्पताल में भर्ती थी, इसलिए उसने देर से शिकायत दर्ज कराई।

डी.

ई.

एफ.

9. दूसरी ओर, मालिक गवाह के रूप में पेश हुआ है।उसने स्वीकार किया कि वह वाहन को सुपरदारी पर ले गया था और उसने कार के चालक संजय के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही दर्ज नहीं की है। उसने स्वीकार किया कि जमानत आवेदन पत्र और जमानत बांड (Ex.68,69 और 70) से पता चलता है कि वह चालक के लिए जमानत पर खड़ा है जिसमें उसने आरोपी को अपने वाहन के चालक के रूप में उल्लेख किया है।यह भी रिकॉर्ड में आया है कि मालिक ने अपने वाहन या चालक को गलत तरीके से फंसाने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की है।

जी.

एच.

1047

जनबाई डब्ल्यू. डी./ओ. दिनकराव घोरपडे बनाम एम./एस. I.C.I.C.I. लैम्बर्ड बीमा कंपनी लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

ए.

10. हम पाते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय आपराधिक मुकदमे में आरोप साबित करने के लिए साक्ष्य के नियम का उपयोग नहीं किया जा सकता है।दुर्घटना में घायल हुए अपीलार्थी संख्या 1 के बयान की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।अधिनियम के तहत आवेदन का निर्णय उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उस साक्ष्य के आधार पर जिसका आपराधिक मुकदमे में नेतृत्व किया जाना चाहिए था या किया जा सकता था।हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से टिकाऊ नहीं है।

बी.

11. यदि मृतक की बेटियों को दावेदार के रूप में शामिल नहीं किया गया है, तो यह मायने नहीं रखता है क्योंकि उत्पीड़न करने वाले द्वारा देय मुआवजे की राशि में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि बेटियां दावा आवेदन में पक्षकार हैं।चूंकि बेटियाँ विवाहित हैं, इसलिए माँ ने बेटियों को दावेदार के

रूप में शामिल नहीं किया है।इसका वास्तव में कोई परिणाम नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है।

सी.

12. अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए कोई अपील दायर नहीं की है।द.

डी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में संविधान पीठ का फैसला

v. प्रणय सेठी और अन्य। 1, तब प्रस्तुत किया गया था जब उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित थी, लेकिन चूंकि बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली गई थी, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए मुआवजे में वृद्धि के प्रश्न की जांच करने का कोई अवसर नहीं था।हम पाते हैं कि अपीलार्थियों विशेष रूप से प्रणय सेठी में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में भविष्य की संभावनाओं और अन्य नुकसानों के संबंध में बढ़े हुए मुआवजे के हकदार हैं।इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हमने संवैधानिक पीठ के फैसले के अनुरूप मुआवजे की राशि की पुनः गणना करने का निर्णय लिया है।13. अपीलार्थी ने इस न्यायालय को दी गई गणना में प्यार और स्नेह के साथ-साथ पत्नी के लिए पति-पत्नी के संघ और बच्चों के लिए माता-पिता के संघ के कारण मुआवजे का दावा किया है, लेकिन तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को देखते हुए यूनाइटेड के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

ई.

एफ.

इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर और अन्य। **2,** द

जी.

प्यार और स्नेह की हानि के कारण शीर्ष के तहत मुआवजे की अनुमति नहीं है, लेकिन पत्नी के लिए पति-पत्नी संघ और बच्चों के लिए माता-पिता के संघ के कारण मुआवजे की अनुमति है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

1 (2017) 16 एससीसी 680 2 (2021) 11 एससीसी 780

एच.

“30. मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनामनानू राम [मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।नानू राम (2018) 18 एस. सी. सी. 130:(2019) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 146:(2019) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 153] इस न्यायालय ने "संघ" की व्याख्या एक समग्र शब्द के रूप में की, जिसमें पति-पत्नी संघ, माता-पिता संघ के साथ-साथ संतान संघ भी शामिल हैं।संघ के अधिकार में मृतक की कंपनी, देखभाल, सहायता, आराम, मार्गदर्शन, सांत्वना और स्नेह शामिल होगा, जो उसके परिवार के लिए एक नुकसान है। जीवनसाथी के संबंध में, इसमें मृत जीवनसाथी के साथ यौन संबंध शामिल होंगे।31. माता-पिता की समय से पहले मृत्यु होने पर बच्चे को माता-पिता की सहायता, सुरक्षा, स्नेह, समाज, अनुशासन, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के नुकसान के लिए माता-पिता का संघ दिया जाता है। संतान संघ बच्चे की आकस्मिक मृत्यु के मामले में मुआवजे के लिए माता-पिता का अधिकार है। एक बच्चे की मौत के कारण होने वाली दुर्घटना से मृतक के माता-पिता और परिवार को बहुत सदमा और पीड़ा होती है।माता-पिता के लिए सबसे बड़ी पीड़ा अपने जीवनकाल में अपने बच्चे को खोना है।बच्चों को उनके प्यार और स्नेह और परिवार इकाई में उनकी भूमिका के लिए महत्व दिया जाता है।

बी.

सी.

डी.

32. दुनिया भर के आधुनिक न्यायालयों ने माना है कि बच्चे के संघ का मूल्य बच्चे की मृत्यु के मामले में दिए गए मुआवजे के आर्थिक मूल्य से कहीं अधिक है।अधिकांश क्षेत्राधिकार माता-पिता को बच्चे की मृत्यु पर संघ के नुकसान के तहत मुआवजे से सम्मानित करने की अनुमति देते हैं। माता-पिता को दी जाने वाली राशि मृतक बच्चे के प्यार और स्नेह, देखभाल और साहचर्य के नुकसान के लिए मुआवजा है।

ई.

33. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एक लाभकारी कानून है जिसे पीड़ितों या उनके परिवारों को वास्तविक दावों के मामलों में राहत प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है।यदि माता-पिता ने अपने नाबालिग बच्चे, या अविवाहित बेटे या बेटी को खो दिया है, तो माता-पिता संतान संघ के प्रमुख के तहत संघ के नुकसान से सम्मानित होने के हकदार हैं।पेरेंटल कंसोर्टियम उन बच्चों को दिया जाता है जो मोटर वाहन दुर्घटनाओं में अपने माता-पिता की देखभाल और सुरक्षा खो देते हैं।हानि संघ के लिए दी जाने वाली राशि प्रणय सेठी [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बीमा निगम लिमिटेड] में निर्धारित राशि के अनुसार होगी।प्रणय सेठी (2017) 16 एस. सी. सी. 680:(2018) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 248:(2018) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 205]

एफ.

जी.

एच.

1049

जनबाई डब्ल्यू. डी./ओ. दिनकराव घोरपडे बनाम एम./एस. I.C.I.C.I. लैम्बर्ड बीमा कंपनी लिमिटेड। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

ए.

34. इस स्तर पर, हम संघ के अनुदान और प्रेम और स्नेह के नुकसान के संबंध में एकरूपता प्रदान करना आवश्यक समझते हैं।कई न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय संघ के नुकसान और प्यार और स्नेह के नुकसान दोनों के लिए मुआवजा दे रहे हैं।प्रणय सेठी [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम.प्रणय सेठी (2017) 16 एस. सी. सी. 680:(2018) 3 एस. सी. सी. (सी. वी.) 248:(2018) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 205] ने केवल तीन पारंपरिक शीर्षों को मान्यता दी है जिनके तहत क्षतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है जैसे संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च।मैग्मा जनरल में [मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम।नानू राम (2018) 18 एस. सी. सी. 130:(2019) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 146:(2019) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 153], इस न्यायालय ने पति-पत्नी संघ, माता-पिता संघ के साथ-साथ संतान संघ को शामिल करने के लिए संघ को एक व्यापक व्याख्या दी।प्रेम और स्नेह के नुकसान को संघ के नुकसान में समझा जाता है।

बी.

सी.

35. न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों को संघ के नुकसान के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया जाता है, जो एक वैध पारंपरिक प्रमुख है।एक अलग प्रमुख के रूप में प्यार और स्नेह की हानि के लिए मुआवजा देने का कोई औचित्य नहीं है।”

डी.

14. हलफनामे पर अपीलार्थी संख्या 1 का सबूत है कि उसके पति को Rs.12,450/- का वेतन मिल रहा था और वह 50 वर्ष से अधिक आयु का था।विद्वत न्यायाधिकरण ने वेतन के प्रमाण के अभाव में मृतक की मासिक आय का आकलन Rs.10,000/- के रूप में विद्वान । इसलिए, प्रणय सेठी में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में आय और आयु और भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, मुआवजे का आकलन निम्नानुसार किया जाता हैः

ई.

एफ.

जी.

एच.

1050

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 6 एस सी आर।

15. इसलिए, मुआवजे के रूप में रु। 11,63,000-7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, जैसा कि विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दावा आवेदन दाखिल करने की तारीख से प्राप्ति तक दिया गया है।

16. नतीजतन, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त करना कर दिया जाता है।इस प्रकार अपील की अनुमति है।

बी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.